State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र. / शिक्षक–शिक्षा / 30–1 / बी.एड. / एम.एड. / प्रवेश / विभागीय / 20 / 2017 / 2026 रायपुर, दिनांक 22.....23.-17

प्रति,

1. **प्राचार्य,**
   शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर
2. **प्राचार्य,**
   शासकीय शिक्षक–शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर

विषय :– बी.एड. (विभागीय) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2017–19 में प्रवेश बाबत्।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.(विभागीय) **2017–19** में प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

1. आप अपने कार्यक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी से **स्कूल शिक्षा विभाग 'ई'** एवं **स्कूल शिक्षा विभाग 'टी'** संवर्गों के शिक्षकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22.05.2017 तक प्राप्त करेंगे। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को यथास्थिति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। इन शिक्षकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। तीनों विभाग के अभ्यर्थी बी.एड प्रशिक्षण के लिए दिनांक 25.03.2017 से दिनांक 30.04.2017 तक SCERT के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में निर्धारित प्रारुप में Online आवेदन भरेंगे। इस भरे हुए आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त कर आवेदन के हार्ड कापी में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 08.05.2017 तक अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के **स्कूल शिक्षा विभाग 'ई'** एवं **स्कूल शिक्षा विभाग 'टी'** के शिक्षकों से 08.05.2017 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगे।

   प्राप्त आवेदनों को पद व वरिष्ठता के आधार पर दोनों संवर्गो की पृथक–पृथक वरिष्ठता सूची तैयार कर नामीनल रोल सहित संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को भेजेंगे। शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत अभ्यर्थी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर संचालक एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

   आप जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें । उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड.प्रवेश प्रक्रिया 2017–19 हेतु समय पर सूचना प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें । Online आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** पर भी उपलब्ध है इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को देवें तथा सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार गठित चयन समिति ही बी.एड. प्रवेश के लिए भी होगी।

   उपरोक्तानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची दिनांक 20.06.2017 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को देवें जिससे वे संबधित को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य

01.07.2017 से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। सूची जारी करने के दिवस ही चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई–मेल **scertcg@gmail.com** पर ई–मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के बेवसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता / व्याख्याता (पंचायत) / प्रधानपाठक, उच्च प्राथमिक शाला / उ.श्रेणी शिक्षक / शिक्षक (पंचायत) / प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला / सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नार्म्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते है। इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक, यदि वह निर्धारित प्राप्तांक अथवा इससे अधिक है, के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा –

1. **स्कूल शिक्षा विभाग ई व टी के लिए –** व्याख्याता / प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला / उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानपाठक प्राथमिक शाला / सहायक शिक्षक।
2. **पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए –** व्याख्याता (पंचायत) / शिक्षक (पंचायत) / सहायक शिक्षक (पंचायत)।

2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डी.एड. प्रशिक्षित हों तो उन्हें भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।

2.4 परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेगें।

2.5 अभ्यर्थी की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।

2.6 बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को **स्कूल शिक्षा विभाग 'ई'** एवं **स्कूल शिक्षा विभाग 'टी'** तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।

2.7 किसी एक विभाग की सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों को परस्पर निम्नानुसार भरा जायेगा –

I. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीटें भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीट्स रिक्त रहने पर **स्कूल शिक्षा विभाग 'ई'**एवं **स्कूल शिक्षा विभाग 'टी'** तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकाय संवर्ग के क्रम से भरी जाएगी।

जैसे– **स्कूल शिक्षा विभाग 'ई'** के व्याख्याता की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के प्रधानपाठक(उच्च प्राथ.शा. / उ.श्रेणी शिक्षक से भरी